<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–2, बाड़मेर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा

दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या : 101/2024 (58/2019)

CNR : RJBM010012972019

महेश माली पुत्र नाथुराम, निवासी भारतीय स्टेट बैंक, प्रतापजी की प्रोल के पीछे, हमीरपुरा, जिला बाड़मेर (राजस्थान)।

–पुनरीक्षणकर्ता

ब ना म

01. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बाड़मेर।
02. महावीर किराणा स्टोर, प्रो. जेठमल जैन पुत्र नेमीचंद जैन, निवासी कल्याणपुरा, शिवकर रोड़, बाड़मेर ।

–गैर पुनरीक्षणकर्ता

<u>फौजदारी निगरानी अंतर्गत धारा 397 सपठित धारा 399 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 04.09.2019, फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 306/2016, महावीर किराणा स्टोर बनाम अभियुक्त महेश माली, अपराध अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम में न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा पारित किया गया</u>

उपस्थित–

(1) श्री अनिल कुमार सोनी, अधिवक्ता–पुनरीक्षणकर्ता ।
(2) अपर लोक अभियोजक–गैर पुनरीक्षणकर्ता संख्या 01 की ओर से ।
(3) श्री पवन सिघंल, अधिवक्ता गैर पुनरीक्षणकर्ता संख्या 02 की ओर से ।

–: आ दे श :–

दिनांक: 18.08.2026

1. पुनरीक्षणकर्ता महेश माली की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बाड़मेर द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 306/2016, महावीर किराणा स्टोर बनाम अभियुक्त महेश माली, अपराध अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के संबंध में पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01, बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो विधिवत् रूप से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप तथ्यानुसार जिससे यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका व्युत्पन्न हुई, इस प्रकार है कि विप्रार्थी संख्या 02 ने अभियुक्त के विरूद्ध विचारण न्यायालय में एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत् पेश कर जाहिर किया कि अभियुक्त अपनी दुकान पर अपने मिठाई, नमकीन के व्यवसाय के लिए परिवादी की दुकान से समय–समय पर किराणा का सामान ले जाता था तथा वर्ष 2014 में भी अभियुक्त ने दीपावली के पर्व पर परिवादी से किराणा का सामान खरीद किया, जिसके

सामान पेटे राशि 2,50,000/– रुपए बकाया रही, जिसके पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक संख्या 824424 दिनांक 20.12.2024 को 2,50,000/– रुपए का उसके फर्म महावीर किराणा स्टोर का दिया, जिसे परिवादी ने सिरकने हेतु अपनी बैंक भेजा, जो अपर्याप्त राशि होने से अनादरित हो गया .... इत्यादि । दौराने विचारण अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सोनी व जितेन्द्र दवे द्वारा दिनांक 19.06.2019 को वकालतनामा पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 को आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य परिवादी में रखी, जबकि दिनांक 23.07.2019 को परिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ, जबकि पूर्व में भी परिवादी को 300/– रु की कोस्ट पर साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया था तथा दिनांक 23.07.2019 को भी परिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने से उक्त पत्रावली दिनांक 04.09.2019 को साक्ष्य परिवादी हेतु रखी गयी । दिनांक 04.09.2019 को अभियुक्त के अधिवक्ता अनिल कुमार सोनी उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष पद के साक्षात्कार बाबत् जयपुर गये हुए होने के कारण अभियुक्त द्वारा अपने ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता जितेन्द्र खत्री को उक्त प्रकरण में आगे पेशी लेने हेतु नियुक्त किया, जिस पर ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.09.2019 को विचारण न्यायालय में ब्रीफ प्रार्थना–पत्र पेश कर आगामी पेशी देने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से जिरह हेतु अवसर नहीं देने बाबत् कहा गया, जिस पर ब्रीफ होल्डर ने अधिवक्ता अनिल कुमार सोनी के सीनियर अधिवक्ता रतनलाल सोनी को न्यायालय में बुलाया तथा उन्होंने जिरह का अवसर देने हेतु निवेदन किया, जिस पर न्यायालय द्वारा निवेदन को अस्वीकार कर आज ही बयान करवाने का कहा, जिस पर ब्रीफ होल्डर ने समय 11:30 एएम पर निवेदन किया कि वह 15 मिनट में वकील साहब के घर से पत्रावली लाकर जिरह कर देगा तथा 15 मिनट में पत्रावली लेकर आये तथा लिखित में प्रार्थना–पत्र देकर भी निवेदन किया कि वह जिरह करने हेतु तैयार है, फिर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा तब तक परिवादी की मुख्य परीक्षण पूर्ण करवाकर लिपिक से पत्रावली लेकर आदेशिका लिख दी । दूसरे दिन आदेशिका की नकल लेने पर पता चला किया अभियुक्त की जिरह बदं कर दी है, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय में पेश की गयी ।

3. पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणाधीन आदेश को पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए मुख्य रूप से यह अभिकथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2019 को पूरण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाना, त्रुटिपूरण आदेश पारित करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जिरह का अवसर बंद कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हनन किया है तथा भारी कानूनी वाक्याती भूल की है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त द्वारा कुछ आधार लेकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत

किया जाता है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए तथा जिरह का अवसर दिया जाना चाहिए, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से दिये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया गया है, ना ही उक्त आवेदन का आदेशिका में जिक्र किया गया है तथा पूर्व में परिवादी को कई अवसर देने के पश्चात् कोस्ट पर भी गवाही हेतु अवसर प्रदान किये गये हैं, परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त हर पेशी पर जिरह करने हेतु तैयार रहने तथा परिवादी हाजिर नहीं होने पर आगे पेशी दी गयी तथा प्रार्थी/अभियुक्त को जिरह हेतु ना तो कभी कोस्ट पर अवसर मिला, ना ही कभी प्रार्थी/अभियुक्त के लिए जिरह का अंतिम अवसर आदेशिका में लिखा गया है । फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को अभियुक्त की जिरह बंद करके मनमाना व एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है । परिवादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षण शुरू करते समय कोस्ट की राशि भी न्यायालय के आदेशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाकर रसीद भी पेश नहीं की गयी थी तथा मुख्य परीक्षण पूर्ण होने के काफी समय उपरांत सायं 04:00 बजे रसीद पेश की गयी थी, जबकि अभियुक्त के ब्रीफ होल्डर व सीनियर अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु तैयार होने पर भी तथा लिखित में प्रार्थना–पत्र देकर जिरह हेतु तैयार रहने का निवेदन करने पर भी अभियुक्त की जिरह बंद कर भारी वाक्याती भूल की है । इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का आदेश जैर निगरानी निरस्त व मनसुख किये जाने योग्य है । विचारण न्यायालय के आदेश जैर निगरानी से अभियुक्त के साथ घोर अन्याय हो रहा है और वह अपने महत्वपूर्ण अधिकारों व अपनी प्रतिरक्षा से वंचित हो रहा है । अंत में निवेदन किया कि उक्त निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 को अपास्त फरमाया जावें तथा अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने का अवसर प्रदान किया जावें ।

4. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को अभियुक्त महेश माली की जिरह का अवसर मनमाने तरीके से बंद किया था, जबकि महेश की ओर से ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री जितेन्द्र खत्री ने न्यायालय को यह अवगत करवा दिया था कि उनके सीनियर अधिवक्ता मौजूद नहीं है एवं न्यायालय को समय दिये जाने का निवेदन करने के बाद भी जिरह का अवसर समाप्त किया गया, जबकि उसी दिन करीब चार बजे ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री जितेन्द्र खत्री ने प्रार्थना–पत्र पेश कर जिरह का अवसर प्रदान करने का निवेदन भी किया था । उक्त प्रार्थना–पत्र भी नियमानुसार निस्तारित नहीं किया गया । चूंकि जिरह का अवसर समाप्त होने से निगरानीकार महेश परिवादी के गवाहान से अपनी पक्ष की जिरह नहीं कर पाया है । ऐसे में उसकी प्रतिरक्षा ही प्रभावित हो गयी है । आलौच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त कर स्वयं को जिरह का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन

किया ।

5. गैरनिगरानीकार संख्या 01 की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा मात्र औपचारिक बहस की गयी । जबकि गैरनिगरानीकार संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस कर यह कथन किया गया कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 04.09.2019 पूर्णतः विधिसम्मत है । चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकार महेश को परिवादी के गवाह से जिरह का पर्याप्त अवसर पूर्व में दिया जा चुका थ, परन्तु मात्र प्रकरण को लंबित करने के आशय से निगरानीकार महेश की ओर से बार–बार जिरह हेतु अवसर प्राप्त किया जा रहा था । दिनांक 04.09.2019 को भी न्यायालय द्वारा ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता को जिरह करने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा इन्कार किये जाने पर एवं कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से जिरह का अवसर समाप्त किया गया । यदि अब पुनः जिरह का अवसर निगरानीकार को प्रदान किया जाता है तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा । चूंकि गैरनिगरानीकार लंबे समय से न्याय प्राप्ति के लिए परिवाद में अपने पैरवी कर रहा है, ऐसे में यदि पुनः जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है तो पत्रावली प्रारम्भिक स्तर पर पहुँच जाएगी । अतः न्याय की दृष्टि से भी प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य बताते हुए प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

6. दोनों पक्षों को सुना गया । विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि पत्रावली पर दिनांक 07.02.2018 से दिनांक 12.03.2019 तक स्वयं परिवादी ने ही मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र पेश नहीं किया था तथा दिनांक 12.03.2019 को परिवादी को 300/– रु कोस्ट पर अंतिम अवसर दिये जाने पर दिनांक 12.04.2019 को शपथ–पत्र पेश किया, जिस पर उक्त दिनांक को अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा अवसर चाहा गया तो दिनांक 28.05.2019 नियत की गयी । दिनांक 28.05.2019 को अधिवक्ता परिवर्तित करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया व इस आदेशिका में गवाह की उपस्थिति व जिरह के अवसर का कोई हवाला नहीं है । आगामी दिनांक 19.06.2019 को परिवादी का जिरह हेतु उपस्थित रहना दर्शित नहीं हो रहा है, तत्पश्चात् दिनांक 23.07.2019 को भी परिवादी का जिरह हेतु उपस्थित रहना दर्शित नहीं है एवं दिनांक 04.09.2019 को अभियुक्त निगरानीकार महेश की ओर से ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता जितेन्द्र खत्री द्वारा उपस्थिति दर्ज की गयी थी और सीनियर अधिवक्ता का बाहर होना बताया गया था, परन्तु न्यायालय को जिरह हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया था, परन्तु न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया कि पूर्व में भी जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं । ऐसे में और अवसर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । जबकि पूर्व में जिरह हेतु अभियुक्त द्वारा बार–बार अवसर चाहने का तथ्य सही प्रतीत नहीं होता है । साथ ही दिनांक

04.09.2019 की आदेशिका से यह भी प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त की ओर से मुख्य परीक्षा के समय अधिवक्ता श्री रतनलाल उपस्थित आ गये थे, जिन्होंने जिरह हेतु अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया, परन्तु न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया, जिस पर पत्रावली के अनुसार दिनांक 04.09.2019 को ही अभियुक्त के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र खत्री द्वारा एक प्रार्थना–पत्र पेश कर यह निवेदन किया गया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सोनी उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष पद के साक्षात्कार हेतु जयपुर गए हुए हैं, ऐसे में वे अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सोनी के घर से इस प्रकरण की फाईल लेकर जिरह हेतु 11:45 एएम पर न्यायालय में उपस्थित हुए हैं, ऐसे में उन्हें जिरह की अनुमति दी जाये । परन्तु इस प्रार्थना–पत्र पर भी कोई आदेश किया जाना दर्शित नहीं हो रहा है एवं न्यायालय द्वारा सीधे ही आदेशिका में बिना कोई समय अंकित किये कि यहाँ जिरह का अवसर कब समाप्त किया गया, पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने का हवाला देते हुए जिरह का अवसर देना उचित नहीं होने का तथ्य अंकित किया और अवसर समाप्त कर दिया । निश्चित रूप से इस प्रकार जिरह का अवसर समाप्त किये जाने से निगरानीकार महेश एक महत्वपूर्ण गवाह से अपनी प्रतिरक्षा में जिरह करने से वंचित हो गया है एवं जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को वह न्यायालय के समक्ष प्रकट करना चाहता था, वे इस अवसर के समाप्त होने से प्रकट नहीं हो पायेंगे । अतः समस्त परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय यह विधिसम्मत पाता है कि निगरानीकार महेश को परिवादी व उसके गवाहान से जिरह का अवसर प्रदान किया जाये एवं प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है ।

– आदेश –

7. अतः पुनरीक्षणकर्ता महेश माली की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है तथा यह आदेश दिया जाता है कि निगरानीकार महेश को गवाह जेठमल जैन पी.डब्ल्यू 01 से जिरह का अवसर प्रदान किया जाये । साथ ही निगरानीकार को यह निर्देश दिया जाता है कि उसे जिरह हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया जायेगा, अतः वह बिना किसी अतिरिक्त अवसर की चेष्ठा किये इस गवाह से विचारण न्यायालय द्वारा तय की गयी दिनांक को जिरह करें ।

8. निर्णय की एक प्रति पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब भेजी जावे।

(मिनाक्षी मीणा)

9. आदेश आज दिनांक 18.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)